peed Post

पत्रांक–वन भूमि–65 / 2018......................... / प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002.

पटना–15, दिनांक–..............................

विषय :– ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत कैमूर जिला के अधौरा पठार स्थित कुल–120 गावों के विद्युतीकरण के क्रम में 11 KV Distribution लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 46.74 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता (परियोजना), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कैमूर (भभुआ) द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार कि अधिसूचना संख्या–1160 दिनांक–20.07.1979 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है। विषयांकित 11 KV Distribution लाईन कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी अंतर्गत निवास करने वाले ग्रामीणों का विद्युतीकरण सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अपयोजित होने वाली कुल वनभूमि 46.74 हे० है। प्रस्तुत परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा परन्तु वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों के टहनियों की कटाई–छटाई की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार जंक्शन एवं Turning वाले स्थलों पर वृक्षों का पातन सम्भव है।

प्रासंगिक पत्र में अंकित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–14.02.2000 को आदेश पारित किया गया है कि 11 KV Distribution लाईन आश्रयणी अंतर्गत ले जाने के लिए राज्य वन्यप्राणी पर्षद् एवं राष्ट्रीय वन्यप्राणी से सहमति आवश्यक नहीं है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव का वानस्पतिक घनत्व 0.7 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण–पत्र से संबंधित वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न है।

विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव का टोपो सीट, डी०जी०पी०एस० मैप तथा परियोजना निर्माण के क्रम में कुल–46.74 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 93.48 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, कैमूर के पंचमहुल PF को चिन्हित करते हुए

वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसका प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. परियोजना निर्माण में आश्रयणी अंतर्गत अपयोजित होने वाली 46.74 हे० वन भूमि के लिये 8.87 लाख प्रति हे० X 5 के दर से कुल रू० 20,72,91,900/- (बीस करोड़ बहत्तर लाख इकानवे हजार नौ सौ रूपये) मात्र नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली वन भूमि 46.74 हे० के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये कैमूर वन प्रमुंडल, भभुआ के अधौरा प्रक्षेत्र अंतर्गत 93.48 हे० अवकृष्ट वन भूमि, पंचमहुल पी०ए० में चिन्हित की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायगी।
4. प्रयोक्जा एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्ष पातन प्रस्तावित नहीं है मात्र वृक्षों की छटाई की जायेगी।
5. आश्रयणी अंतर्गत वन्यप्राणी के सुरक्षित अधिवास एवं आवागमन हेतु Distribution lines में Covered wire का प्रयोग प्रयोक्जा एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
6. प्रयोक्जा एजेंसी द्वारा आश्रयणी क्षेत्र के अंतर्गत पोल पर Circuit Breakers का उपयोग किया जायेगा जिससे कि वन्यप्राणी के सुरक्षित अधिवास सम्भव हो सके।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि-65/2018......................../प0व0, पटना-15, दिनांक.......................................

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार/कार्यपालक अभियंता (परियोजना), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक: वन भूमि-65/2018.....1032 (ई०)/प0व0, पटना-15, दिनांक 11/9/18

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब-साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट-2 उपलब्ध कराया जाय।

10/09/17
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

VRStg.One180